

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम जायल (नागौर)




चेलाराम

बनाम

राधाकिशन वगैरह

रस प्रकरण राजस्व वाद

प्रकरण संख्या 162/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
5/7/13	<p>वकील वादी ने यह वाद अधीन धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08/08/2013 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               सहायक कलक्टर              राजस्थान सरकार           </p>	
8/8/13	<p>राजाकार/पत्रावली के अधिवक्ता</p> <p>               राजाकार              13/9/13           </p>	<p>मुनीन्द्र</p>
13/9/13	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी उपरो/प्रतिवादी सं. 1 राधाकिशन की ओर से वकील श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी ने पत्रावली पेश किया। जवाब आदि पेश करने चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 2 से 4 व 7 का समन बादतारिक 13/9/13। प्रतिवादी सं. 5 व 6 का समन बादतारिक 13/9/13। वाकी पत्रावली के समन तारिक अथवा बादतारिक 13/9/13 को पत्रावली दिनांक 15/10/13 को पेश करे, ई.</p> <p style="text-align: center;">               राजाकार              11/10/13           </p>	<p>17/10/13</p>

आ  
नु  
सं

# FORM NO. 3

## फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट) (नियम 28)

आलय.....  
 .....बनाम.....  
 एण की किस्म.....  
 एण की संख्या..... वर्ष.....

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
9.8.17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अविबक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी ने मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 27.12.17 को प्रस्तुत करें।</p>	
27.12.17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अविबक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी ने मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 6.4.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>९</p>	
16.5.18	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अविबक्ता</p> <p>6-4-18</p> <p>पीठासीन अधिकारी ने मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 15.6.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>९</p> <p>पुष्पावली न्याय आण के द्वारा सिविल में कल लेवा कर्द वोल मे देखा डुरि/ उक्त का से लेखित कर कल्य कर ले. 148/2017 कनका राधा किशन बनाए लल्लार सा निधी किमा जा उका है उक्त कर्द मे वपु ले. 148/17 के साथ लेलगन करने के आदेश दिने जाते है कलसे 148/17 निर्णित होने से उक्त</p>	<p>15/5/18</p>

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

कास का मोनो कवच नती रह जाता है  
इसलिए वस से 148/2017 के तहत नती  
किना जोका प्रवाणी केसत शुभल  
होम उभल प्रोप्रेस हो KR